3R$50P

INDIA

तीन रुपये पचास पैसे

तीन रुपये पचास पैसे

सत्यमेव जयते

THREE RUPEES भारत FIFTY PAISE

स्मृति- पत्र
==========

क. संस्था का नाम: बैशाली समाज कल्याण संस्थान

ख. संबंधित कार्यालय- इस संस्था का निबंधित कार्यालय-ग्राम-बिदुपुर बाजार, पो०बिदुपुर बाजार, जिला बैशाली, पिन 844503 में रहेगा। निबंधित कार्यालय के स्थान परिबर्तन होने के पूर्ब ही परिबर्तन स्थान की सूचना निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को दे दी जायेगी ।

ग. कार्यक्षेत्र:- इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार प्रान्त में होगा ।

घ. संस्था का उद्येश्य:-संस्था सहकारिता का भावना जागृत कर उनके सम्पूर्ण बिकास ।आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक एबं पारिबारिक। के लिए सहकारिता के माध्यम से प्रयास करने एबं उनके बीच सहकारिता आन्दो-लन को लोक प्रिय बनाना ।

संस्था अपने उपयुक्त उद्येश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी ।

1. संस्था मानब जाति में स्बाबलम्बन, पारस्परिक सहायता, मितव्ययिता तथा सहयोग की भाबना पैदा करना ।

2. संस्था सम्पूर्ण मानब का आर्थिक बिकास हेतु उद्योग।खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, लाह, चर्मोद्योग, औषधि, बस्तु शिल्प, हैण्डलूम, पाबरलूम, खांडसारी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, बागबानी इत्यादि कार्य करेगी।

3, संस्था सम्पूर्ण मानब के शैक्षणिक बिकास एबं उससे जुड़े आर्थिक बिकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण का कार्य करेगी तथा इसके लिए स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, प्रशिक्षण शिबिर खोलेगी तथा जिला, प्रान्त एबं दूसरे प्रान्तों में प्रशिक्षण एबं शिक्षण की व्यबस्था यात्रा एबं शैक्षणिक शिबिरों की व्यबस्था समय पर आबश्यकतानुसार करेगी ।

4-सार्बजनिक रूप से स्बास्थ्य एबं परिबार कल्याण हेतु अस्पताल, मातृ गृह शिशु सदन, स्बास्थ्य केन्द्र, पोषाहार, एबं सामान्य स्बास्थ्य की देखभाल के लिए जो भी आबश्यक कार्य होगा बह करेगी ।

/2/

साहित्य सामग्रियों, बुकलेटस, पैम्पलेटस वित्तं चित्र एवं चल चित्र इत्यादि माध्यमों से सदस्यों के नैतिक विकास के लिए प्रयास करेगी ।

6. संस्था ग्रामीणों के निधि, कच्चेमाल, औजार तकनिकी प्रशिक्षण एवं जानकारी की व्यवस्था करेगी ।

7. संस्था ग्रामीणों के द्वारा तैयार किये गये सामग्रीयों की बिक्री संरक्षण, भंडारण आयात-निर्यात की व्यवस्था एवं इस हेतु बिक्री केन्द्र, गोदाम, शीत गृह इत्यादि की व्यवस्था करेगी ।

8. संस्था ग्रामीणों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण उन पर लाभ, ऋण की व्यवस्था तथा ऋण पर व्याज की दर इत्यादि का निर्धारण की व्यवस्था करेगी ।

9. संस्था हरिजनों, महिलाओं एवं बच्चों के मनोरंजन हेतु तथा उनके उत्पादन सामग्रियों के विज्ञापन बिक्री के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, फिल्म शो इत्यादि की व्यवस्था करेगी ।

10-कृषि एवं अन्य उत्पादनों के लिए परिशोधन केन्द्रों उद्योगों की स्थापना करेगी

11-संस्था पुरुष एवं महिलाओं के पारस्प रिक उद्योगों, व्यापार, हस्तशिल्प इत्यादि प्रत्येक विद्याओं के विकास के लिए आवश्यक कार्य करेगी ।

12-संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक महिला कोष की व्यवस्था करेगी, जिसे महिलाओं के सामाजिक विकास एवं कल्याण के कार्य किये जायेगें ।

13-संस्था मानव जाति के सर्वांगिण विकास हेतु लिए पारस्पकिक सहायता सहयोग के जरिये, समय एवं आवश्यकतानुसार प्रत्येक उन कार्यों को करेगी जो संस्था के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक एवं सक्षम होगी ।

14-बाल-विवाह, अनमेल-विवाह पर रोक थाम ।

15-पर्यावरण को दूषित होने से बचाना ।

16-वृक्षारोपण अभियान को तेज करना इत्यादि ।

17-समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को चलाना जैसे दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण आदि ।

18-संस्था पशुपालन, मत्स्यपालन मुर्गी पालन एवं डेयरी उद्योग चलाना तथा दुग्ध आपूर्ति योजना समाज के विकास कार्य हेतु चला सकते हैं ।

19-संस्था बेरोजगारों को टंकक एवं अशुलिपिक का प्रशिक्षण दे सकती है ।

20-संस्था का प्रबंधभार नीचे लिखे व्यक्तियों को सौंपा गया है:-

| क्र. पद | नाम/पिता/पति का नाम | पता | पेशा |
|---|---|---|---|
| 1 अध्यक्ष | श्री अरविन्द कुमार<br>श्री लक्ष्मी प्र0 साह | ग्राम-पो0-बिदुपुर बाजार<br>थाना-बिदुपुर, वैशाली । | सामाजिककार्यकर्ता |

131

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. सचिव | श्री कौशल किशोर "बिकल"<br>श्री रामेश्वर प्र० सिंह | ग्राम-पो०-थाना-बिदुपुर<br>जिला बैशाली | सामाजिककार्यकर्त |
| 3. कोषाध्यक्ष | श्री रामबिलास पंडित<br>स्व० नन्हक पंडित | बिदुपुर बाजार कुम्हरटोली<br>थाना बिदुपुर, बैशाली | " " |
| 4-सदस्य | नीलम कुमारी<br>श्री अशोक कुमार | बिदुपुर बाजार, थाना-बिदुपुर<br>जिला बैशाली । | गृहनी कार्य |
| 5-सदस्य | सुशीला सिंह<br>श्री उदित ना०सिंह | " " | सामाजिककार्यकर्ता |
| 6-सदस्य | सुमन देबी<br>श्री सुबोध कुमार | " " | गृहिनी |
| 7-सदस्य | मीना देबी<br>श्री नरेश कुमार गुप्ता | " " | सिलाई कटाई एवं<br>समाज सेवा |

हमलोग जिनके नाम, पता एवं हस्ताक्षर नीचे इस स्मृति पत्र के बाहर संस्था के रूप में परिणत होने एवं सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधन कराने के इच्छुक हैं ।

| नाम | पेशा | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1-श्री अरबिन्द कुमार | सामाजिक कार्यकर्त्ता | अरबिन्द कुमार |
| 2-श्री कौशल किशोर "बिकल" | " " | कौशल किशोर "बिकल" |
| 3-श्री राम बिलास पंडित | " " | रामबिलास पंडित |
| 4-नीलम कुमारी | गृहीनी | नीलम कुमारी |
| 5-सुशीला सिंह | सामाजिक कार्यकर्ता | सुशीला सिंह |
| 6-सुमन देबी | " " | सुमन देबी |
| 7-मीना देबी | सिलाई कटाई | मीना देबी |

प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं और मैं इनलोगों को जानता हूँ ।

अभिप्रमाणित
ह०/ उदय नारायण
स० बि० स०

==============================

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार ।

टंकित किया-सिंह
बढ़ा-
तुलना किया-

3Rs50P

INDIA

तीन रुपये पचास पैसे

सत्यमेव जयते

THREE RUPEES भारत FIFTY PAISE

बैशाली समाज कल्याण संस्थान की नियमाबली

परिभाषा:- इस नियमाबली में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों के अर्थ इस प्रकार होगें:-

क। संस्था का अर्थ:- बैशाली समाज कल्याण संस्थान

ख। सदस्य का अर्थ होगा-संस्था के सदस्यगण ।

ग। समिति का अर्थ होगा- संस्था के कार्यकारिणी समिति ।

घ। पदाधिकारी का अर्थ होगा- संस्था के पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, सचिब एवं कोषाध्यक्ष ।

2-सदस्यता:-

21 बर्ष से अधिक की कोई, भी व्यक्ति बह किसी पार्टी में क्यों न हो किसी धर्म, किसी जाति के क्यों न हो बैशाली समाज कल्याण संस्था की सदस्य बन सकती है । बशर्तें:-

क। उनकी सार्बजनिक संस्थाओं जन कल्याण कार्यों में निः स्बार्थ रूची हो ।

ख। सदस्यता के लिए समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क देने और नियम आदि मानने की लिखित घोषणा करती है ।

ग। संस्था के स्मृति पत्र में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर किया है ।

घ। संस्था ऐसी व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है जिनकी सेबाओं की उपयोगिता समझेगी ।

ङ। सदस्य बनने के लिए आबेदन पत्र देना होगा जिसपर समिति की स्बीकृति होगी। सदस्यों को 5/- रूपये प्रतिमाह सदस्यता शुल्क एवं 10/-रूपये प्रबेश शुल्क देना होगा ।

3-सदस्यता से बिमुक्ति:-

क। स्बयं त्याग पत्र देने पर ।

ख। मृत्यु एवं पागल होने पर ।

ग। संस्था के नियमों के बिरूद्ध आचरण करने तथा तीन माह तक सदस्यता

4-कार्यकारिणी समिति:-

क।संस्था के प्रबंधक कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगें ।

ख।कार्यकारिणी समिति का गठन प्रतिवर्ष संस्था की आम सभा में चुनाव द्वारा होगा ।

ग।वर्ष के भीतर में कोई पद रिक्त होने पर उप समिति पद पर उस वर्ष के शेष अवधि में अन्य सदस्यों में से किसी को मनोनीत कर सकती है ।

5-कार्यकारिणी समिति का कर्तव्य एवं अधिकार:-

कार्यकारिणी समिति अपना निर्णय संस्था के अनुसार करेगी ।

समिति के निम्नलिखित अधिकार होगें:-

क।सदस्यता के प्रार्थना पत्र पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ख।आवश्यकतानुसार अर्थ संग्रह करना एवं संस्था में नियमानुसार व्यय करना ।

ग।किसी सदस्य का जिसका चरित्र संस्था के उद्देश्यों पर कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना वंचित करने के पूर्व उस सदस्य के स्पष्टीकरण लेना अनिवार्य होगा ।

घ।वार्षिक विवरण तैयार करना एवं उसे वार्षिक अधिवेशन में पेश करना ।

ड.।संस्था के चल-अचल सम्पति पर उत्तरदायित्व होना ।

6-पदाधिकारी का कर्तव्य:-

अध्यक्ष

क।प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना और सभापतित्व करना ।

ख।कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखना ।

ग।सभा की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना ।

घ।बैठक में शान्ती व्यवस्था रखना ।

ड।बैठकमें किसी विषय पर पक्ष-विपक्ष में बार-बार मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार कार्यान्वित करना होगा ।

7-सचिव:-

क।प्रत्येक कार्यवाही का निरीक्षण करना और किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व होगी ।

ख।महत्वपूर्ण विषयों पर समिति की राय लेकर तथा सामान्य विषयों पर स्वयं ही अपने विवेकानुसार पत्राचार करना ।

ग।संस्था के सभी कागजातों पत्रों तथा चेक पर हस्ताक्षर करना ।

13/

घ।आय- व्यय का लेखा तथा वार्षिक विवरण आमसभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी

ड।सचिव 100/-रूपये समिति की पूर्व अनुमति के बिना आकस्मिक खर्च के निमित अपने पास रखेगी ।

च।बैठक की कार्यवाही तैयार करेगी ।

छ।अध्यक्ष की राय से बैठक आहूत करेगी ।

8-कोषाध्यक्ष

क।संस्था के कोष तथा उसके संबंधित लेखा बही तैयार करना सचिव के माध्यम से उसे व्यय करना ।

ख।आय व्ययका हिसाब रखना तथा लेखा अंकेक्षण करना ।

ग।संस्था के कोष की रक्षा करना तथा सचिव की स्वीकृति से व्यय करना ।

9-आम सभा के कर्तव्य एवं अधिकार:-

क।समिति की बैठक प्रत्येक दो माह पर होगी आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

ख।समिति की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में कोरम की पूर्ति मानी जायेगी ।

ग।बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा ।

घ।समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी भी प्रस्ताव का निर्णय होगा ।

ड।यदि समिति का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे वह समिति से वंचित हो जायेगी और उनका स्थान रिक्त माना जायेगा ।

च।समिति की बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व दी जायेगी ।आवश्यक सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

छ।यदि संस्था के कार्यकारिणी के तीन सदस्य किसी विशेष पर विचार करने के लिए सचिव को बैठक बुलाने के लिए आवेदन पत्र देता है तो सचिव समिति की बैठक के लिए बाध्य होगें। यदि सचिव पत्र पाने के एक सप्ताह के अन्दर समिति की बैठक बुलाते नहीं है तो उक्त तिथि के बाद बैठक बुलाने का अधिकार होगा तथा आवेदन पत्र में लिखित विचार किया जायेगा ।

10-वार्षिक बैठक एवं कोरम:-

क।वार्षिक बैठक दो प्रकार की होगी:- साधारण एवं असाधारण

ख।साधारण बैठक वर्ष के बाद जनवरी माह में होगी अतिरिक्त जो बैठक होगी वह साधारण बैठक कहलायेगी ।

ग।साधारण ...क की सूचना 15 ...

की सूचना 15 दिन पूर्व असाधारण बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी । अतिआवश्यक बैठकतीन दिन पूर्व सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ। संस्था को एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से कोरम की पूर्ति मानी जायेगी तथा कोरम की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में बैठक स्थगित समझी जायगी ।

ड। बैठककी सूचना डाक द्वारा या पंजी द्वारा दी जायेगी

च। अध्यक्ष की उपस्थिति में सदस्यों में से किसी सदस्य को उस दिन की बैठक के लिए सभापति चुन लिया जायेगा ।

11-निधि कोष:-

संस्था को समिति द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से रखा जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष इन तीनों में किन्हीं दो के हस्ताक्षर से राशि की निकासी होगी ।

12-कानूनी कार्रवाई:-

सभी कानूनी कार्रवाई जो संस्था पर या संस्था द्वारा होगी उसका संचालन सचिव करेंगे और उन्हें अध्यक्ष की राय से वकील नियुक्त करने का अधिकार हो[illegible]

13-नियमावली में संशोधन:-

नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा [illegible] पारित होगा ।

14-पंजी का निरीक्षण:-

सदस्य पंजी कार्यवाही पंजी कार्यालय में रहेंगे और सदस्यों को सचिव के अनुमति से उसे देखने का अधिकार होगा ।

15-आय का श्रोत:-

संस्था के कार्यों के लिए कोष का उपयोग इस प्रकार होगा:-

क। सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क

ख। चन्दा अथवा दान

ग। अनुदान सहायता एवं ऋण

16-लेखा का अंकेक्षण:-

संस्था के आय-व्यय के लिखित एवं नियमित लेखा रखा जायेगा एवं आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा ।

17- यदि किसी कारणवश इस संस्था का विघटन करना होगा तो इसके लिए बुलाई

गई एक विशेष आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर बिघटन किया जायेगा । इससे कम बहुमत पर विघटन नहीं हो सकेगा। बिघटन के उपरान्त संस्था को चल अचल सम्पति जो बचेगी वह सदस्यों, गैर सदस्यों में बांटी जायेगी बल्कि सामान्य उद्येश्य वाली अन्य संस्था या सरकार को आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से दे दी जायेगी ।

आवश्यक बिषय जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हो पाया है उनके संबंध में सोसाइटीज रजिष्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के इसके नियमावली इस पर लागू होगा। हमलोग कार्यकारिणी के अधोहस्ताक्षरी सदस्य यह पारित करते हैं कि नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

| | | |
|---|---|---|
| ह0/अरविन्द कुमार<br>अध्यक्ष | कौशल किशोर बिकल<br>सचिव | रामबिलास पंडित<br>कोषाध्यक्ष |

=========================

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है ।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार ।

टंकित किया- सिंह

पढ़ा-

तुलना किया-